न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—46/2015/223 (2015/00287)

1. नाथी पत्नि रामकरण, जाति खटीक, निवासी ग्राम पालूखुर्द, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर (फौत) नाम तर्क
2. राधा देवी पत्नि हनुमान सांभरिया पुत्री रामकरण, जाति खटीक, निवासी ग्रामी मीठड़ी, तह0 नांवा, जिला नागौर ।

अपीलांटस

बनाम

1. सीताराम पुत्र नानूराम, जाति खटीक, निवासी पालूखुर्द तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
2. पौखर पुत्र नानूराम, जाति खटीक, निवासी पालूखुर्द, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
3. मूलचंद पुत्र नानूराम, जाति खटीक, निवासी पालूखुर्द, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
4. शान्ति पत्नि प्रभूदयाल, जाति खटीक, निवासी सांभरलेकर, तहसील फुलेरा जिला जयपुर ।
5. मंगली देवी पत्नि मदनलाल, जाति खटीक, निवासी सांभरलेक, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर ।
6. बरजी देवी पत्नि नानूराम, जाति खटीक, निवासी पालूखुर्द, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
7. देवकरण पुत्र हीरा, जाति खटीक, निवासी पालूखुर्द, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर । (मृतक) जरिये वारिसानः—
   7/1— रामनारायण,
   7/2— बजरंग,
   7/3— किशन,
   7/4— सुगना पुत्री देवकरण,
   समस्त जाति खटीक, निवासी पालूखुर्द, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
8- ईशर पुत्र हीरा जाति खटीक, निवासी पालूखुर्द, तह0 मौजमाबाद, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

<u>अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू दिनांक 26.6.2012 अंतर्गत वाद संख्या 250/2005 पुनः दर्ज संख्या 157/2012.</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री विरेन्द्रसिंह खंगारोत, वकील अपीलांटस ।
2. श्री दीपक पारीक, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 6 व 8.
3. रेस्पो0 संख्या 7/1 से 7/4 अनुपस्थित ।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

निर्णय

दिनांकः- 24.9.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के निर्णय व डिक्री दिनांक 26.6.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 ने अधी0न्याया0 में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नानूराम, रामकरण, देवकरण व ईशर चारों सगे भाई है व स्व0 हीरा के पुत्र है । विवादित आराजी खसरा नंबर 283/1/1 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम पालूखुर्द तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है जिसमें चारों भाईयों के नाम 1/4, 1/4 हिस्से अनुसार दर्ज है परन्तु रामकरण गोद चला गया था इसलिये इसमें केवल बाकी शेष तीनों भाईयों का ही हिस्सा है इसलिये प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हजब फरमाया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम दर्ज की जावे तथा वादकारण दिनांक 26.5.2005 को विक्रय करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ तथा प्रकरण दर्ज किया जाकर तलबी जारी की गई । प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 द्वारा दिनांक 17.4.2006 को जवाबदावा प्रस्तुत हुआ दिनांक 8.5.2006 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ इसके आधार पर तनकीयात कायत की गई, इसके पश्चात् दिनांक 20.4.2010 को प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु होने पर प्रार्थना पत्र आदेश 22 (4) पेश हुआ । अपीलांट की तलबी हेतु नियत किया गया । लगातार कई तारीख पेशियों पर तलबाना प्रस्तुत नहीं होने पर वाद खारिज कर दिया जो दिनांक 17.1.2012 को प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 प्रस्तुत होने पर पुनः नंबर पर लिया गया एवं इससे पूर्व ही अपीलांटस की एकतरफा कार्यवाही कर दी गई । दिनांक 30.5.2012 को वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 ने राजीनामा पेश किया एवं उक्त राजीनामें के आधार पर वाद दिनांक 26.6.2012 को डिक्री कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांटस को पत्रावली पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 विचाराधीन था जिसमें तलबी हेतु पत्रावली नियत थी एवं बार-बार तलबी नहीं करवाने पर दावा खारिज कर दिया गया ऐसी स्थिति में उक्त वाद को आदेश 9 नियम 9 के प्रार्थना पत्र के आधार पर रेस्टोर नहीं किया जा सकता था । दावा रेस्टोरेशन हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र के बाबत् जारी नोटिस की तलबी के आधार पर अपीलांटस के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर दी गई जो गंभीर विधिक त्रुटि है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 लंबित था जिसका निस्तारण नहीं किया गया एवं बिना प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये अपीलांटस की एकतरफा कार्यवाही कर दी गई जो एक गंभीर त्रुटि है इसलिये निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है । बहस में आगे कथन किया कि स्व0 हीरा की सम्पति में रामकरण जो हीरा का पुत्र था का हित निहित था एवं रामकरण के वारिसान को सुनवाई का बिना अवसर दिये ही प्रश्नगत निर्णय व डिक्री पारित किया गया है जो काबिल निरस्तनीय है । रामकरण के हिस्से की आराजियात का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को अधी0न्याया0 द्वारा खातेदार काश्तकार घोषित कर दिया गया जिसके समर्थन में अधी0न्याया0 द्वारा यह फाईण्डिग दी गई की रामकरण गोद चला गया था जबकि ऐसी कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं

थी न ही गोद के प्रश्न को निर्णित करने का अधिकार ही अधी0न्याया0 को था । अधी0न्याया0 ने वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के राजीनामे के आधार पर वाद को डिक्री कर दिया है जबकि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को ही आराजियात प्राप्त होनी थी ऐसी स्थिति में उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया राजीनामा सद्भावी नहीं था । अधी0न्याया0 द्वारा जब तनकियात कायम की जा चुकी थी तो तनकीवार विवेचन कर निर्णय पारित करना चाहिये था परन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर गंभीर त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 का निर्णय स्पीकिंग आदेश की परिभाषा में नहीं आता है जो विधि विरूद्ध होकर निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट वाद में आवश्यक पक्षकार थे एवं प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक वारिसान थे, को पत्रावली पर लेने हेंतु वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 पेश किया था जिसमें अपीलांटस की तलबी हेतु नियत था लेकिन तलबाना पेश नहीं होने से वाद खारिज कर दिया । वाद के पुनः रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र पर नोटिस जारी किये गये जिनकी तामील उचित तरीके से नहीं हुई तथा अपीलांटस के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर दी गई जिससे अपीलांटस को प्रश्नगत निर्णय व डिक्री की जानकारी नही हो पाई । अपीलांटस को निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 4.7.2013 को हुई जिस पर अपीलांटस ने कानूनी सलाह लेकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । नानूराम, रामकरण, देवकरण व ईशर चारों सगे भाई है व स्व0 हीरा के पुत्र है । अपीलांटस के पति व पिता रामकरण हरबक्श के गोद चला गया था जिससे प्राकृतिक पिता की सम्पति में उसका कोई हक व अधिकार नहीं था । रामकरण पुत्र हरबक्श के नाम से भूमि आवंटित हुई थी जिससे भी स्पष्ट है कि रामकरण हरबक्श के गोद चला गया था । हीरा की विरासत रामकरण के नाम गलत खोली गई थी इसी कारण अन्य प्रतिवादीगण ने राजीनामा पेश किया था । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांटस बावजूद तामील के अनुपस्थित रहने से अधी0न्याया0 ने इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की है जो विधिसम्मत है। अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में 2015 (1) आर0आर0टी0 पेज 232, आर0बी0जे0 2001 पेज 432, 258, आर0बी0जे0 2002 पेज 26, आर0आर0डी0 2002 पेज 37, आर0आर0डी0 2007 पेज 220, आर0आर0डी0 1993 पेज 24, आर0आर0डी0 2003 पेज 417, आर0बी0जे 2004 पेज 535, आर0आर0डी0 1994 पेज 277, आर0बी0जे0 2000 पेज 358, 402, आर0आर0डी0 2002 पेज 527 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम अपीलांटस को प्रकरण में गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः न्यायहित में अपीलांटस में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधी0न्याया0 के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर अधी0न्याया0 ने वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर वाद अनुतोष सहित कुल 7 तनकियात कायम की है । तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 रामकरण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किया है । अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय में प्रतिवादी संख्या 1 रामकरण को हरबक्श के गोद जाना मानकर प्रतिवादी संख्या 1 रामकरण का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ करने की डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 ने गोद के संबंध में भी तनकी कायम की है जिसका निस्तारण पक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर ही किया जा सकता था किन्तु अधी0न्याया0 ने तनकियात कायम किये जाने के बावजूद तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है जिससे अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 के प्रावधानों के विपरीत होने से विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । अधी0न्याया0 को वाद में कायम तनकियात पर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रत्येक तनकी पर स्पष्ट विवेचन, विश्लेषण प्रदान करते हुए तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिये था । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलांटस के विरूद्ध अधी0न्याया0 द्वारा एकतरफा कार्यवाही किये जाने से अपीलांटस अपना पक्ष अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाये थे । अतः अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.6.2012 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद तनकीवार निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 24.9.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर